संख्या 3845/जी0एस0(शिक्षा)/A3-11(2)/2018

प्रेषक,

रीना जोशी,
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड देहरादून दिनांक 15 सितम्बर, 2025

महोदय,

कृपया कुलसचिव, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के पत्र संख्या 262, दिनांक 11.07.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनमें **बी0एस0वी0 प्राइवेट कन्या महाविद्यालय, जसपुर, ऊधम सिंह नगर को बी0ए0, बी0एससी0 एवं एम0ए0, पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2020–21 से 2022–23 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव** संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराये गये हैं।

2– उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37(2) के अन्तर्गत महाविद्यालय/संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि के अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :–

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की अवधि
1	2	3	4	5
01	बी0एस0वी0 प्राइवेट कन्या महाविद्यालय, जसपुर, ऊधम सिंह नगर।	बी0एससी0–गणित ग्रुप (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित)	60 सीट प्रति ग्रुप	2020–21, 2021–22 एवं 2022–23
		बी0एससी0–बायो ग्रुप (रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान)		
		एम0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, शिक्षाशास्त्र, गृह विज्ञान)	40 सीट प्रति विषय	
		बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, शिक्षाशास्त्र, चित्रकला, संस्कृत, इतिहास एवं भूगोल)	70 सीट प्रति विषय	

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C.

File No. RB-EDUC02/112/2025-RAJBHAWAN (Computer No. 1785)
Generated from eOffice by MANJEET SINGH, RO-MS, REVIEW OFFICER, Rajbhawan Uttarakhand on 16/09/2025 01:23 pm

विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।

- विश्वविद्यालय, संस्थान से शैक्षिक सत्र 2025–26 के लिए प्राभूति राशि, यू0जी0सी0 विनियम, नियमाक संस्था एवं उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 649 दिनांक 14.12.2016 में निहित व्यवस्थानुसार बंधक रखवाना सुनिश्चित करेगा। यदि विश्वविद्यालय द्वारा इस उपबन्ध का अनुपालन किये बिना सत्र 2025–26 का प्रस्ताव इस सचिवालय को प्रेषित किया जाता है तो किसी भी परिस्थिति मे सत्र 2025–26 के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।
- विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में भवन मानकानुसार पूर्ण करवाने के साथ–साथ सोसाइटी के पंजीकरण का नवीनीकरण करवाते हुए तत्सम्बन्धी अभिलेख इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।
- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C. विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

Digitally signed by
REENA JOSHI
Date: 12-09-2025
17:04:45

भवदीया,

(रीना जोशी)
कुलाधिपति के अपर सचिव।

संख्या : 3845(1)/जी0एस0(शिक्षा)/A3-11(2)/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य– सम्बन्धित महाविद्यालय।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

Digitally signed by
Shri Laxman Ram Arya
Date: 15-09-2025
13:45:16

आज्ञा से,

(लक्ष्मण राम आर्य)
कुलाधिपति के उपसचिव।

File No. RB-EDUC02/112/2025-RAJBHAWAN (Computer No. 1785)
Generated from eOffice by MANJEET SINGH. RO-MS. REVIEW OFFICER. Rajbhawan Uttarakhand on 16/09/2025 01:23 pm